कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 463/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 23.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 23.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट

दिनांक: 23.12.2025

कोतवाली पुलिस ने जमीन की दोहरी रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जमीन की दोहरी रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी किए जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त विवरण:

वादी श्रीचन्द पाल पुत्र मनिराम पाल, निवासी ग्राम बैठोली, पोस्ट शाहगढ़, जनपद आज़मगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 04.03.2025 को अतवारू राजभर पुत्र किशोरी राजभर, निवासी ग्राम बेलहरा, पोस्ट सठियांव, जनपद आज़मगढ़ द्वारा अपनी जमीन 3 बिस्सा 7 कड़ी की रजिस्ट्री वादी के पक्ष में की गई थी, जिस पर वादी का कब्जा भी हो गया था। बाद में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त जमीन पूर्व में राधिका पत्नी रामबदन यादव के नाम भी रजिस्ट्री की जा चुकी थी, जिसकी जानकारी वादी को नहीं दी गई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 469/25 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी विवरण:

विवेचना के क्रम में दिनांक 22.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त अतवारू राजभर पुत्र किशोरी राजभर (उम्र लगभग 43 वर्ष) को खोजिया चट्टी बेलहरा तिराहा, थाना मुबारकपुर से समय करीब 18:10 बजे गिरफ्तार कर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त:

01. अतवारू राजभर पुत्र किशोरी राजभर, निवासी ग्राम बेलहटा, पोस्ट सठियांव, जनपद आज़मगढ़, उम्र – लगभग 43 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:

01. मु0अ0सं0 469/25 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

01. व0उ0नि0 दल प्रताप सिंह, थाना कोतवाली, जनपद आज़मगढ़
02. का0 आशुतोष दूबे, थाना कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

थाना फूलपुर साइबर हेल्पडेस्क की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही से गलती से गलत खाते में ट्रांसफर हुई धनराशि ₹42,000/- आवेदक को सफलतापूर्वक वापस कराई गई है।

संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 05.02.2025 को आवेदक जितेन्द्र गुप्ता पुत्र रामपलट, निवासी माहुल खास, थाना अहरौला, जनपद आज़मगढ़ द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ पर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अपने एक रिश्तेदार को पैसा भेजते समय गलती से

₹42,000/- किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हो गया है। संबंधित खाते के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा धनराशि वापस करने से इनकार किया गया। उक्त शिकायत का क्रमांक 2310225003xxx है।

उक्त शिकायत की जांच साइबर हेल्पडेस्क फूलपुर द्वारा तत्परता से की गई। संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित करते हुए तथा एसबीआई बैंक के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक से दूरभाष एवं ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक जितेन्द्र गुप्ता के खाते में गलती से ट्रांसफर हुई संपूर्ण धनराशि ₹42,000/- वापस करा दी गई।

रूपया वापसी का विवरण:

आवेदक – जितेन्द्र गुप्ता पुत्र रामपलट निवासी – माहुल खास, थाना अहरौला, जनपद आज़मगढ़

वापस कराई गई धनराशि – ₹42,000/-

कार्यवाही करने वाली साइबर टीम:

01. उ0नि0 दयानन्द
02. आरक्षी दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा
03. म0का0 पूजा पाण्डेय

➡आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी अथवा ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित समस्या होने पर तत्काल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

प्रेस-नोट

थाना – जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास :-

दिनांक 08.12.2025 को थाना जीयनपुर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एक प्रकरण में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, पीड़िता को अज्ञात स्थान पर रखना तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मु0अ0सं0 498/2025 धारा 69/127(2)/351(3) बीएनएस व 4(2) पास्को एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में कुल 04 नामजद अभियुक्त पंजीकृत हैं।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण :-

दिनांक 23.12.2025 को उ0नि0 अमित कुमार वर्मा मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त हरिश्चन्द्र चौहान उर्फ श्यामप्यारे पुत्र धर्मराज चौहान को अजमतगढ़ नहर के पास से समय करीब 11:15 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

01. हरिश्चन्द्र चौहान उर्फ श्यामप्यारे पुत्र धर्मराज चौहान, उम्र – लगभग 24 वर्ष, निवासी – ग्राम भरौली, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग :-

01. मु0अ0सं0 498/2025, धारा – 69/127(2)/351(3) बीएनएस व 4(2) पास्को एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

01. उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
02. हे0का0 राजेश कुमार, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

प्रेस-नोट
थाना – कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

साइबर ठगी पर पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही

₹16,000/- की धनराशि पीड़ित को सुरक्षित रूप से वापस कराई गई

➡ **श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत, नोडल अधिकारी साइबर क्राइम श्री विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में थाना कोतवाली स्थित साइबर हेल्पडेस्क द्वारा एक और सराहनीय सफलता प्राप्त की गई।**

इस क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक आवेदक द्वारा सूचना दी गई कि उनके बैंक खाते से उनकी जानकारी के बिना **₹16,000/- की** धनराशि साइबर ठगी के माध्यम से डेबिट कर ली गई है।

सूचना प्राप्त होते ही थाना कोतवाली साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित की शिकायत को तत्काल NCRP पोर्टल पर पंजीकृत कराया गया (शिकायत संख्या – 23111250192677)। इसके उपरान्त टेक्निकल टीम के समन्वय से सघन एवं प्रभावी प्रयास करते हुए साइबर ठगी से निकाली **गई पूरी ₹16,000/-** की धनराशि को नियमानुसार सुरक्षित रूप से पीड़ित के खाते में वापस कराया गया।

➡ पुलिस द्वारा आवेदक को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए अवगत कराया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तत्काल साइबर **हेल्पलाइन नंबर 1930** पर कॉल करें अथवा **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही अपने नजदीकी पुलिस थाने में स्थापित साइबर हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम :-

01. उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम – थाना कोतवाली, जनपद आज़मगढ़
02. का0 नीरज कुमार – थाना कोतवाली, जनपद आज़मगढ़
03. का0 आशुतोष दूबे – थाना कोतवाली, जनपद आज़मगढ़

रूट डायवर्जन

जनपद आजमगढ़ में दिनांक **24.12.2025** से **28.12.2025** तक आयोजित **आजमगढ़ महोत्सव** के दृष्टिगत **नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए** रखने हेतु **प्रतिदिन सायं 04.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक** निम्नलिखित रूट डायवर्जन व्यवस्था प्रभावी रहेगी—

रूट डायवर्जन विवरण:-

➡ **पहाड़पुर तिराहा** से **जिला अस्पताल आजमगढ़** की ओर जाने वाले सभी तीन पहिया / चार पहिया एवं अन्य वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

वैकल्पिक मार्ग:- पाण्डेय बाजार ⟶ करतालपुर ⟶ सदर अस्पताल/भवरनाथ चौराहा

➡ **सदर अस्पताल** से **पालिटेक्निक/पहाड़पुर** की ओर आने वाले सभी तीन पहिया/चार पहिया वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

वैकल्पिक मार्ग:- पाण्डेय बाजार ⟶ करतालपुर ⟶ गंतव्य

➡ **हर्रा की चुंगी** से **पालिटेक्निक** होते हुए **पहाड़पुर की ओर** आने वाले सभी तीन पहिया/चार पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

वैकल्पिक मार्ग:- टेढ़िया मस्जिद होते हुए गंतव्य

➡ **बिलरिया की चुंगी** से **पालिटेक्निक (पीछे वाले गेट)** की ओर किसी भी तीन पहिया / चार पहिया वाहन का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

वैकल्पिक मार्ग:- सदर ⟶ कोट चौराहा ⟶ गंतव्य

➡ **हरिऔध तिराहा** से **पालिटेक्निक (पीछे वाले गेट)** की ओर सभी तीन पहिया / चार पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

अपील:-

सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करें, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात पुलिस को सहयोग प्रदान करें।